# कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in


पत्र संख्या- 363/2025

# प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 10.10.2025

## थाना- देवगांव

## प्रेस-प्रसंग में युवक ने महिला मित्र के परिजनों को झूठे मुकदमे में फँसाने हेतु स्वयं पर गोली मारकर बनाई फर्जी कहानी, 03 अभियुक्त गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त 01 पिस्टल, जिन्दा व खोखा कारतूस बरामद।

**घटना का विवरण :**

➡दिनांक 08.10.2025 को आवेदक मो0 कैफ पुत्र जलालुद्दीन निवासी टिकरी थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर तहरीर दी गई कि दो अज्ञात मोटरसाइकिल सवार युवकों द्वारा उसके चचेरे भाई मो0 शफीक शेख पुत्र जैनुद्दीन निवासी टिकरी पर पिस्टल से फायर कर जानलेवा हमला किया गया, जिसमें गोली उसके बाएं कंधे के नीचे लगी। घायल को टीकरगढ़ अस्पताल ले जाया गया, जहाँ से चिकित्सकों ने स्थिति गंभीर देखते हुए ट्रॉमा सेंटर बीएचयू वाराणसी के लिए रेफर कर दिया गया।

➡ उक्त प्रकरण में **मु0अ0सं0 365/2025 धारा 109 बीएनएस** बनाम अज्ञात अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना प्रभारी चौकी लालगंज उ0नि0 सुभाष तिवारी द्वारा की जा रही थी।

**गिरफ्तारी का विवरण :**

➡ **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार** के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री मधुवन कुमार सिंह एवं क्षेत्राधिकारी लालगंज भूपेष कुमार पाण्डेय के कुशल मार्गदर्शन में कार्यवाही करते हुए प्रभारी निरीक्षक देवगांव के नेतृत्व में *दिनांक 10.10.2025 को* मुखबिर की सूचना पर देवगांव पुलिस द्वारा *समय 08:55 बजे तीनों अभियुक्तों को वहद ग्राम टिकरी से पुलिस हिरासत* में लिया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्तगण :**

1. मो0 शफीक शेख पुत्र जैनुद्दीन निवासी टिकरी थाना देवगांव आजमगढ़
2. मो0 कैफ पुत्र जलालुद्दीन निवासी टिकरी थाना देवगांव आजमगढ़
3. संदीप यादव पुत्र जमुना यादव निवासी टिकरी थाना देवगांव आजमगढ़

**पूछताछ का विवरण :**

➡ पूछताछ में अभियुक्त संदीप यादव ने बताया कि उसका मित्र मो0 शफीक शेख एक लड़की से प्रेम करता था। लड़की के परिजन इस संबंध का विरोध कर रहे थे और परिजन लड़की का मोबाइल छीन लिये थे, जिससे दोनों की बातचीत बंद हो गई थी। इससे व्यथित होकर तीनो 1.मो0 कैफ पुत्र जलालुद्दीन, 2. मो0 शफीक शेख पुत्र जैनुद्दीन, 3. संदीप यादव पुत्र जमुना यादव निवासीगण टिकरी थाना देवगांव आजमगढ़ ने योजना बनाई कि शफीक स्वयं को गोली मार लेगा और लड़की के परिजन को हमला करना बताया जायेगा, ताकि बाद में लड़की के परिजनों को झूठे मुकदमे में फँसाया जा सके। दिनांक- 08.10.2025 को घटना स्थल पर निरीक्षण के दौरान एक कैश मेमो मिला जो मजरूब के दुकान का था तथा जिसमें असलहें के फायर के निशान थे। मजरूब के चोट की प्रकृति व संदिग्ध कैश मेमों घटना स्थल से प्राप्त होने के बाद पुलिस ने जब कड़ाई से अभियुक्तों से पूछताछ की तब घटना मो0 कैफ व संदीप यादव के साथ मिलकर शफीक द्वारा स्वयं के बाये कंधे के नीचे स्वयं से गोली मारकर अपने आप को घायल किया जाना पाया गया। कैश मेमों के गत्ते को मोड़कर संदीप यादव ने शफीक के बायें कंधे के नीचे लगाया था व शफीक ने स्वयं से गोली चलाई, कैश मेमों का प्रयोग इसलिये किया गया था, जिससे ये लगे कि कुछ कदम की दुरी से गोली मारी गयी है।

**पंजीकृत अभियोग-**

1-मु0अ0सं0 366/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना देवगांव आजमगढ़

2-मु0अ0सं0 365/2025 धारा 217/229/231/240/109/61(2) बीएनएस थाना देवगांव आजमगढ़

**बरामदगी का विवरण :**

अभियुक्त मो0 कैफ के कब्जे से 01 अदद .32 बोर पिस्टल, 01 अदद खोखा कारतूस, 01 अदद जिन्दा कारतूस (.32 बोर) बरामद

**गिरफ्तारी एवं बरामदगी करने वाली टीम :**

1- प्रभारी निरीक्षक देवगांव विमल कुमार राय मय हमराह थाना देवगांव, आजमगढ़।
2- उ0नि0 सुभाष तिवारी, प्रभारी चौकी लालगंज मय हमराह थाना देवगांव आजमगढ़
3- उ0नि0 हरिश्चन्द्र यादव, चौकी लालगंज थाना देवगांव आजमगढ़
4- उ0नि0 चित्रांशू मिश्रा, उ0नि0 अभिषेक मिश्रा,थाना देवगांव थाना देवगांव आजमगढ़